न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 14/23 GCMS NO 2023/65

बजरूद्दीन पुत्र स्व0अल्लादीन जाति बंजारा मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

इमामुद्दीन पुत्र स्व0अल्लादीन जाति बंजारा मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 140/15 निर्णय दिनांक 21.11.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री अरविन्द अग्रवाल

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 17.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.11.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायल/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम खूटला की ढाणी तहसील गंगापुर सिटी के ख0न0 682 रकबा 0.97 है0, 683 रकबा 0.46 है0 स्थित है। उक्त भूमि मे सायल सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त ख0न0 की मेड पर सायल के पिता ने करीब 35 वर्ष पूर्व चाह का निर्माण कराया था। उक्त चाह पर इंजन भी रख दिया था। उस समय से ही उक्त चाह से दावे मे वर्णित ख0न0 के खेतो की सिचाई पिलाई होती चली आ रही है। सायल निरन्तर नियमानुसार उक्त चाह से अपनी भूमि मे पानी भराता है और काश्त कर फसल से लाभान्वित होता चला आ रहा है। ख0न0 682 रकबा 0.97 है0 तथा 683 रकबा 0.46 है0 कथित भूमि मे मौके पर दो भाग हो रहे है। एक भाग को सायल काश्त करता है तथा दूसरे भाग को दावे मे दर्ज प्रतिवादी न0 2 लगायत 4 स्व0कमरूद्दीन के वारिसान काश्त करते है। चूकिः बहन विसमिल्ला दावे मे दर्ज प्रतिवादी न0 5 शादी के बाद से ही ससुराल मे ही रहती है एवं गैरसायल इमामुद्दीन अपने हिस्से की भूमि को पूर्व से पिताजी के समय से ही अन्य जगह ले चुका है। गैर सायल सायल का सगा भाई है और उसने साजिस करके पिताजी को बहला फुसलाकर ख0न0 529 रकबा 0.97 है0 स्थित ग्राम गांवडी कलां की वसीयत पिताजी से अपने स्वयं के नाम करवा ली और स्वयं के नाम नामा0 खुलवा लिया है। उपरोक्त वसीयत नामे को सायल ने सिविल कोर्ट से शून्य घोषित करवाने हेतु वाद पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। इसी बात से सायल व गैरसायल मे आपस मे भूमि कम ज्यादा हिस्से से अधिक लेने बाबत विवाद है। इस कारण गैरसायल सायल से दैषता रखता है एवं आये दिन झगडता र[illegible] है। दिनांक 26.10.15 को सायल अपनी उक्त आराजीयात की सिचाई चाह से कर रहा था तो गैरसायल ने सायल [illegible] पानी के पाईपो को तोड दिया व नष्ट कर दिया और मारपीट करने पर आमादा [illegible] से कहा कि कुआ पिताजी ने बनवाकर इंजन रखवाया है जिसमे मे[illegible] भी बराबर का [illegible] है आप मुझे पानी लेने से रोक नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

सकते। इस बात पर गैरसायल नाराज हो गया और माँ बहिन की गालियां देने लगा। यह वाद कारण उत्पन्न होने के कारण गैरसायल का पाबन्द किया जावे कि वह भूमि ख0न0 682 रकबा 0.97 है0 तथा 683 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम खूटला की ढाणी की मेड पर बने चाह से इंजन द्वारा सायल को नियमानुसार पानी लेने मे व्यवधान पैदा नही करे एवं उनके उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे तथा पानी लेते समय पानी के पाईपो को नष्ट नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायल/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायल द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद तामिल उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया अदालत मातहत का आदेश रूयेदाद मिसल होने से लायक मन्सूखी है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का व शपथ पत्र का अध्ययन नही किया बल्कि सरसरी निगाह से देखते हुए आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। इस प्रकार आदेश अदालत मातहत निरस्त योग्य है। चाह निर्मित ख0न0 529 मे जो की मेड पर बनना तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट के दर्शाया है वह चाह ख0न0 682, 683 की सीमाये लगता हुआ है 529 की मेड पर होना बताया है यह कुआ तकरीबन 35 वर्ष पूर्व से पिताजी द्वारा बनवाया हुआ है जो कि कुए को देखने से ही स्पष्ट है कि कुआ कितना पुराना है। क्योकि पुरानी चाह व नई निर्मित चाह मे फर्क होता है। अपीलांट का प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनो अपीलांट के पक्ष मे है। अपीलांट निहायती कृषक काश्तकार है। मात्र खेती बाडी ही जीवीकापार्जन का एक मात्र साधन है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.11.22 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट के कथन अनुसार विवादित चाह ख0न0 682 व 683 की मेड पर बना हुआ है जबकि पत्रावली मे उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट मे चाह ख0न0 529 की मेड पर होना अंकित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे खसरा न0 682 व 683 का ही जिक्र किया है एवं ख0न0 529 के बारे मे किसी प्रकार की कोई रिलीफ नही चाही है। आराजी ख0न0 529 रकबा 0.97 है0 ग्राम गांवडी कलां जो कि वसीयत के द्वारा रेस्पो0 को प्राप्त हुई है। जिसका वसीयत के आधार पर नामा0 खोला जाना अपीलांट ने स्वयं स्वीकृत किया है तथा वसीयत को शून्य घोषित कराने हेतु वाद विचाराधीन होना स्वीकार किया है। चूंकिः हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना है। तहसीलदार की रिपोर्ट मे कुआ ख0न0 529 [illegible] है0 की मेड पर होना अंकित किया है। जिसका रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार है [illegible] को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार [illegible] के पक्ष मे सिद्व नही होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 140/15 निर्णय दिनांक 21.11.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner